न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
354/2021

तारीख दायर
26-10-2021

तारीख फैसला
29/06/2022

उनवान

01. श्रीमती सुरेन्द्री पत्नी स्व. जयप्रकाश
02. आलोक
03. अंकुर
04. सौरभ पुत्रान स्व. श्री जयप्रकाश
05. सत्यवीर पुत्र श्री खजानसिंह
06. ब्रहमानन्द
07. भगवत प्रसाद पुत्रान श्री विजयसिंह
08. प्रदीप कुमार
09. देवेन्द्र सिंह
10. विक्रमसिंह पुत्रान स्व. श्री हरिप्रसाद
11. राजबाला
12. रामवती पुत्रीयान स्व. श्री हरिप्रसाद
13. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री हरिप्रसाद जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादीगण

बनाम

01. दुल्ली पुत्र श्री गुलजारी
02. श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकरण
03. जगत उर्फ काला पुत्र स्व. श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लाधावाडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, पैरोकार भूमिधारी अधिकारी तिजारा

——:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा यानि 1.37 है0, आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.61 है0, वाद विभाजन हाल आराजी खसरा नम्बर 268/98 रकबा 1.01 है0, 269/98 रकबा 0.36 है0, 270/104 रकबा 0.50 है0, 271/104 रकबा 0.11 है0 बनाये गये है जो वाके ग्राम लाधावाडा तहसील

जिला अलवर में स्थित है। इस आराजी में हाल खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0 व 271/104 रकबा 0.11 है0 इस बाद में विवादित आराजी कहलावेगी। आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व रामकरण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को आराजी के पूर्व खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 व रामकरण से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.02.1974 को वादीगण सं0 1 लगायत 5 के दादा/ससुर/पिता खजानसिंह व वादीगण संख्या 6 व 7 तथा वादीगण संख्या 8 लगायत 13 के पति/पिता हरिप्रसाद ने बाकब्जा, वाप्रतिफल अदा कर खरीद किया है। जिसका बयनामा उपपंजीयक कार्यालय तिजारा के यहां पंजीबद्ध कराया है। वर्णित उक्त आराजी वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के दादा/ससुर/पिता खजानसिंह ने 1/4 भाग व वादी संख्या 6 ने 1/4 भाग, वादी संख्या 7 ने 1/4 भाग व वादीगण संख्या 8 लगायत 13 के पति/पिता हरिप्रसाद ने 1/4 भाग समभाग में खरीद किया था। उक्त खरीद के बाद खजानसिंह, वादी संख्या 6 ब्रहमानन्द, वादी संख्या 7 भगवत प्रसाद व हरिप्रसाद काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना आरम्भ कर दिया तथा बयनामा की नकुलात हल्का पटवारी को वास्ते दर्ज करने इंतकाल दे दी। हल्का पटवारी ने बयनामेंजात के आधार पर इंतकाल दर्ज कराने का आश्वासन दिया। खजानसिंह, वादी संख्या 6 ब्रहमानन्द, वादी संख्या 7 भगवत प्रसाद व हरिप्रसाद जो कि खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। उपरोक्त आराजी के सदभावी केता है। खजानसिंह, वादी संख्या 6 ब्रहमानन्द, वादी संख्या 7 भगवत प्रसाद व हरिप्रसाद को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है। जिनको हल्का पटवारी के द्वारा दर्ज किये गये इंतकाल की कोई जानकारी नहीं थी। जमाबन्दी संवत् 2032 में आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से 4 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीघा 19 बिस्वा का अमल खजानसिंह, वादी संख्या 6 ब्रहमानन्द, वादी संख्या 7 भगवत प्रसाद व हरिप्रसाद में कर दिया व आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीघा 8 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा में से 9 बिस्वा का अमल प्रतिवादी संख्या 1 दुल्ली व रामकरण के नाम बदस्तूर रखा। जबकि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को बयनामा के अनुसार ही अमल करना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड जाकर अमल दरामद किया है। खजानसिंह का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान जयप्रकाश व वादी संख्या 5 सत्यवीर है। उसके बाद आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा यानि 1.37 है0 आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.61 है0 का विभाजन हो गया और विभाजन उपरान्त हाल आराजी खसरा नम्बर 268/98 रकबा 1.01 है0 व हाल आराजी खसरा नम्बर 270/104 रकबा 0.50 है0 में जयप्रकाश, वादी संख्या 5 सत्यवीर, वादी संख्या 6 ब्रहमानन्द, वादी संख्या 7 भगवत प्रसाद व हरिप्रसाद के नाम का अमल आ गया तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0, 271/104 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी संख्या 1 दुल्ली व रामकरण के नाम समभाग में अंकन रहा। इसी दौरान जयप्रकाश का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 4 है। हरिप्रसाद का भी देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 8 लगायत 13 है तथा रामकरण का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 है। वादीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 लगायत 13 के नाम विरासत इंतकाल प्रकियाधीन है। आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, आराजी

नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 का 1/4 भाग वादी संख्या 6 का 1/4 भाग, वादी संख्या 7 का 1/4 भाग व वादीगण संख्या 8 लगायत 13 का 1/4 निहित है और इसी कदर वादीगण आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड जाकर आराजी खसरा नम्बर 98मिन रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीघा 8 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0 व आराजी खसरा नम्बर 104मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 9 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 271/104 रकबा 0.11 है0 का अमल प्रतिवादी संख्या 1 दुल्ली व रामकरण किया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 गलत अमल की आड में विरासत इंतकाल दर्ज कराने की जुस्तजू में है, जो गलत अमल हम वादीगण के हकूको के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। इसी कदर वादीगण गलत अमल को दुरूस्त कराकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0, हाल आराजी खसरा नम्बर 271/104 रकबा 0.11 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 दुल्ली व रामकरण के नाम को हजफ कर वादीगण के नाम हिस्से अनुसार अमल दरामद कर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा हम वादीगण इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के अधिकारी है। करार दिया जावे कि हम वादीगण, विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0 व 271/104 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम लाधावाडा तहसील तिजारा के खरीददार काबिज खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व रामकरण के नाम को हजफ कर हम वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम 1/4 भाग, वादी संख्या 6 के नाम 1/4 भाग, वादी संख्या 7 के नाम 1/4 भाग व वादीगण संख्या 8 लगायत 13 के नाम 1/4 भाग के नाम खातेदार काश्तकार का अंकन कराया जावें तथा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जबाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 दुल्ली द्वारा अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र ब्रहमानन्द पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर, सत्यवीर पुत्र खजानसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर, जगदीश पुत्र श्योदानसिंह जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2073–76 (प्रदर्श 1), जमाबन्दी संवत् 2032 (प्रदर्श 2), इंतकाल संख्या 22 (प्रदर्श 3), बयनामा दिनांक 18.02.1974 (प्रदर्श 4) पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। मुताबिक बयनामा दिनांक 18.02.1974 से वादीगण के पूर्वजों द्वारा विवादित आराजी को खसरा नम्बर 98 व 104 में आराजी क्रय की गई है। जिसके आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जावें।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 98 व 104 जरिये बयनामा वादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा क्रय की गई है। पूर्व खसरा नम्बर 98 व 104 के हाल खसरा नम्बर 269/98, 271/104 बनाये गये है। मुताबिक बयनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

[illegible] किया जाकर [illegible] 1/4 भाग [illegible] 1/4 भाग [illegible] 1/4 भाग [illegible] किया जाता है। [illegible] 1/4 भाग [illegible] किये जाने के [illegible]

आदेश सुनाया गया।

(नरेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी,
[illegible] (आगरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
354/2021

तारीख दायर
26-10-2021

तारीख फैसला
29/06/2022

उनवान

01. श्रीमती सुरेन्दी पत्नी स्व. जयप्रकाश
02. आलोक
03. अंकुर
04. सौरभ पुत्रान स्व. श्री जयप्रकाश
05. सत्यवीर पुत्र श्री खजानसिंह
06. बहमानन्द
07. भगवत प्रसाद पुत्रान श्री विजयसिंह
08. प्रदीप कुमार
09. देवेन्द्र सिंह
10. विक्मसिंह पुत्रान स्व. श्री हरिप्रसाद
11. राजबाला
12. रामवती पुत्रीयान स्व. श्री हरिप्रसाद
13. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री हरिप्रसाद जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादीगण

बनाम

01. दुल्ली पुत्र श्री गुलजारी
02. श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री रामकरण
03. जगत उर्फ काला पुत्र स्व. श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लाधावाडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, पैरोकार भूमिधारी अधिकारी तिजारा

——:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 269/98 रकबा 0.36 है0 व 271/104 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम लाधावाडा तहसील तिजारा पर दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 या रामकरण का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम 1/4 भाग, वादी संख्या 6 के नाम 1/4 भाग, वादी संख्या 7 के नाम 1/4 भाग व वादीगण संख्या 8 लगायत 13 के नाम 1/4 भाग पर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)